किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 कि ओर अधिवक्ता श्री मनिराम कड़वासरा ने वकालतनामा मय इकबाली जवाब के प्रस्तुत किया जो सामिल पत्रावली है। प्रतिवादी संख्या 4 को जारी सम्मन बाद तामिल प्राप्त जो परफोर्मा पक्षकार है। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 कि ओर इकबाली जवाब एवं प्रतिवादी संख्या 4 परफोर्मा पक्षकार होने से विवाद्यक बिन्दू (तनकीयात्) की आवश्यकता नहीं होने से तय नही किये गये तथा पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई।

साक्ष्य वादी में वकील वादी ने नकल जमाबंदी सम्वत् 2073–76 मौजा बागरासर के खाता संख्या 173 प्रदर्ष–1 नकल जमाबंदी सम्वत् 2073–76 मौजा बागरासर के खाता संख्या 172 प्रदर्श–2 कराई। वकील वादी ने ओर साक्ष्य पेश नहीं करने का निवेदन पर साक्ष्य वादी बंद की गई। प्रतिवादी संख्य1 से 3 कि ओर से इकबालीया जवाब दाव पेश होने से साक्ष्य प्रतिवादी की आवश्यकता नहीं होने से पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई।

बहस वकुलाय सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद पत्र में किये गये कथनों को दोहराया तथा वाद को डिक्री करने का निवेदन किया। वकील प्रतिवादीगण ने वादपत्र को वाद के पेराज के अनुसार डिक्री किये जाने में सहमति दौराने बहस व्यक्त की। मेरे द्वारा वादी के अभिकथनो तथा साक्ष्य के तौर पर पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वादी के वाद तथा प्रस्तुत दस्तावेजो से वादी के वाद की आंषिकतः ताईद होती है तथा किसी भी पक्षकार द्वारा वाद का विरोध नही किया गया है। तहसीलदार डेह को परफोर्मा पक्षकार के रूप में वाद पत्र पर संयोजित किया गया है। पक्षकारान द्वारा मौजा बागरासर के खसरा नम्बर 42 का बंट चाहा गया है जो कि पक्षकारान कि पुश्तैनी भूमि रहती आई है। पुश्तैनी भूमि में सभी काश्तकार अपने अपने बंट का विभाजन अलग करवा सकते है। वाद के पैरा संख्या 3 के बिन्दु अ, ब, स, द में सभी पक्षकार का अलग–अलग बंट अंकित किया गया है एवं उसी अनुसार पक्षकार द्वारा बंट चाहा गया है एवं किसी भी पक्षकार द्वारा इसका विरोध प्रकट नहीं किया गया है। मौजा बागरासर के खेत खसरा नम्बर 42 रकबा 4.2654 हैक्टेयर, में वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 को प्रतिवादी संख्या 3 के साथ सहखातेदार कृषक घोषित करते हुए वाद अनुसार वाद को डिक्रि किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

– : आदेश :–

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थतियों के आधार पर वाद वादी का स्वीकार किया जाकर डिक्री निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है।

1. वादी श्रवणराम गोदारा के हक बंट में मौजा बागरासर के खसरा नम्बर 42 रकबा 4.2654 हैक्टेयर में से रकबा 1.4218 हैक्टेयर पूर्वी भाग माफिक नजरी नक्शानुसार रखा जाकर खातेदारी कि घोषणा कि जाती है।
2. प्रतिवादी संख्या 1 रतनाराम गोदारा के हक बंट में मौजा बागरासर के खसरा नम्बर 42 रकबा 4.2654 हैक्टेयर में से रकबा 1.4218 हैक्टेयर मध्य भाग माफिक नजरी नक्शानुसार रखा जाकर खातेदारी कि घोषणा कि जाति है।

Scanned with CamScanner

3. प्रतिवादी संख्या 2 राजेन्द्र गोदारा के हक बंट में मौजा बागरासर के खसरा नम्बर 42 रकबा 4.2654 हैक्टेयर में से रकबा 1.4218 हैक्टेयर पश्चिमि भाग माफिक नजरी नक्शानुसार रखा जाकर खातेदारी कि घोषणा कि जाती है।
4. प्रतिवादी संख्या 3 भंवरूराम के हक बंट में मौजा बागरासर का खेत खसरा नम्बर 47 रकबा 4.3706 हैक्टेयर यथावत घोषित किया जाता हैं।
5. उक्त खसरान में से बैंक के रहन खसरों पर रहन यथावत रहेाग। बैंक सूचित हो।
6. माफिक वादपत्र के संलग्न नजरी नक्शा डिक्रि आदेश का भाग रहेगा।

माफिक आदेश डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार डेह को आदेश दिया जाता है कि वे माफिक डिक्री आदेश अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही सुनिश्चित करे। मिसल फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(ओमप्रकाश वर्मा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

निर्णय आज दिनांक 28.8.23 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश वर्मा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

Scanned with CamScanner